Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
साबिर खान बनाम हसीना बेगम वगै0
अपील संख्या 109/2025 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट
GCMS NO 2025/238

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.8.25	अपील श्री विनोद कुमार अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता का अपील के एडमिशन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 37/25 उनवानी हसीना बेगम वगै0 बनाम मतलूब अली वगै0 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9.5.2025 के विरूद्व पेश की गई है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 1.7.25 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। चूकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश नही होकर अंतरिम आदेश है। जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। इस प्रकार उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/अप्रार्थीगण की तलबी मे नियत है। न्यायहित मे अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट/अप्रार्थीगण से जबाव अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का प्राप्त किया जाकर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का अन्दर 3 माह मे अंतिम निस्तारण किया जावे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Laxmi Kant Balot Date: 2026.04.16 15:23:17 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner